



खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

रबी उपार्जन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन आवेदन

आवेदन क्रमांक दिनांक

1. पंजीयन केन्द्र का नाम पंजीयन केन्द्र क्रमांक

2. किसान का नाम (अंग्रेजी में) पिता/पति का नाम

3. किसान का नाम (हिन्दी में) पिता/पति का नाम

4. लिंग- Male Female

5. निवासी ग्राम/वाड़ का नाम ग्राम पंचायत/वाड़

6. तहसील जिला

7. वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य)

8. किसान का आधार नं. (12-डिजिट)

- आधार नम्बर सं लिंक बैंक खाते में विक्रय की गई उपज का भुगतान किया जाएगा। अतः बैंक में जाकर खाते को आधार नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक कराएं एवं बैंक के माध्यम से डाटा NPCI को प्रेषित कराएं।

9. बैंक का नाम शाखा का नाम

बैंक खाता संख्या

आई.एफ.एस.सी.कोड क्र.

10. किसान का मोबाईल नंबर (+91 या 0 आवश्यकता नहीं है)

- यह मोबाईल नंबर आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। इसके आधार पर अस्थाई पंजीयन होगा, पुष्टि (SMS/OTP) से की जायेगी।

11. किसान की समय सदस्य आई.डी. क्रमांक (09 डिजिट)

12. किसान की स्वयं की भूमि का विवरण

(रकबा हेक्टेयर/भावा विंटल में)

ग्राम का नाम	किसान का नाम	किसान की किस्म	मूल भूमि स्वामी की जग पुरिवाक क्र.	खसरा क्र.	रकबा	बोई गई फसल का रकबा		कुल संभावित उपज		मंडी/उपार्जन केन्द्र में विक्रय की जाने वाली	
						सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	संभावित मात्रा	संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. सिकमी/बटाई पर काश्त ली गई भूमि का विवरण

(रकबा हेक्टेयर/भावा विंटल में)

ग्राम का नाम	किसान का नाम	किसान की किस्म	मूल भूमि स्वामी का नाम एवं जग पुरिवाक	खसरा क्र.	रकबा	बोई गई फसल का रकबा		कुल संभावित उपज		मंडी/उपार्जन केन्द्र में विक्रय की जाने वाली	
						सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	संभावित मात्रा	संभावित दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

मूल भू-स्वामी का नाम एवं पता.....

सिकमी अनुबंध का दिनांक

14. वनाधिकार भूमि पर बोई गई फसल का विवरण-

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खाता क्रमांक/पट्टा	फसल का नाम	फसल की किस्म	बोई गई फसल का रकबा हेक्ट. में		संभावित विक्रय की दिनांक	
						सिंचित	असिंचित	दिनांक 01	दिनांक 02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15. फसल विक्रय करने हेतु अधिकृत नामिनी का नाम.....

16. अधिकृत नामिनी का आधार नंबर

17. नामिनी का मोबाईल नंबर

18. पंजीयन में सुविधा की दृष्टि से कृषक अपने सभी खसरो को आधार नम्बर से लिंक निम्नानुसार कराए-

- समग्र पोर्टल पर "eKYC करें" विकल्प के माध्यम से घर बैठे अथवा कॉमन सर्विस सेंटर/MPOnline/लोक सेवा केन्द्र पर
- <http://mpbhuabhilekh.gov.in> पोर्टल पर पब्लिक यूजर द्वारा

19. किसान द्वारा विक्रय (सरल क्र. 12 से 14 में उल्लेखित फसल) की जाने वाली उपज के भण्डारण स्थल का पूर्ण पता एवं मात्रा

हस्ताक्षर उपार्जन केन्द्र प्रबंधक/प्रभारी

किसान/अगूठा हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं पिता/पति यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मध्यप्रदेश का किसान हूँ और उपरोक्त वर्णित समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य हैं एवं तथ्य छुपाया नहीं गया है। मैंने अपनी इस ज़मीन का पंजीयन अन्य किसी केन्द्र पर नहीं कराया है। रबी उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के लिए मैं अपने आधार नंबर की जानकारी उपयोग करने सहमति प्रदान करता हूँ। यदि जांच उपरांत वर्णित कोई भी तथ्य असत्य/मिथ्या पाया जाता है तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। मेरे गिरदावरी के आंकड़े का मिलान मैंने कर लिया है।

हस्ताक्षर किसान/अगूठा

नोट- पंजीयन हेतु निम्न दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है-

1. समस्त वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के पट्टा की प्रति।
2. सिकमी/पट्टे की भूमि होने पर उसका निर्धारित प्रारूप में अनुबंध-पत्र एवं मूल भू-स्वामी की ऋण पुस्तिका की प्रति।

..... यहां से काट के किसान को पावती दी जाए.....

रबी वर्ष 2024-25 में गेहूं उपार्जन हेतु पंजीयन की पावती

आवेदन क्रमांक

श्री/श्रीमती.....पिता/पति..... निवासी

ग्राम द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन पत्र पंजीयन केन्द्र

..... पर प्राप्त किया गया। जिसका पंजीयन क्र. हैं।

अधिकृत पंजीयनकर्ता के हस्ताक्षर

नोट- पंजीयन में गलत/भ्रामक जानकारी देना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182, 418 तथा 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।